सं. डब्ल्यू-11037/1/2014-एनबीए
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
***

चौथा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक: 14 सितंबर, 2015

सेवा में,

प्रधान सचिव/सभी राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव

विषय: 25 सितंबर, 2015 से 11 अक्टूबर, 2015 तक राष्ट्रव्यापी स्वच्छता/साफ-सफाई अभियान।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2012 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए एक जन आंदोलन के रूप में 'स्वच्छ भारत' हेतु आहवान किया था। उन्होंने फिर यह विचार व्यक्ति किया है कि मिशन के प्रथम वर्ष के मौके पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यवहारगत परिवर्तन को बनाए रखना सुनिश्चित करने हेतु जन मानस में जागरूकता पुन: लाने के लिए समाज के सभी भागों की भागीदारी से एक राष्ट्रव्यापी अभियान आयोजित किया जाए। इस संदर्भ में यह प्रस्ताव किया गया है कि एक गहन राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत की जाए जो 25 सितंबर, 2015 से शुरू हो और इसका समापन 11 अक्टूबर को श्री जयप्रकाश नारायण की जयंती के दिन हो।

2. इस प्रकार के अभियान को सफल बनाने के लिए पुन: व्यापक तौर पर जन जागरूकता लाने की जरूरत है और घरों, सरकारी दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों, कार्य स्थलों, सड़कों, गलियों और बाजारों, रेलवे स्टेशनों और बस टर्मिनलों, प्रतिमाओं, स्मारकों, नदियों, तालाबों, जलाशयों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की सफाई करने के लिए और भागीदारी हेतु भी व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। स्वच्छता और जागरूकता सृजन के इस अभियान में प्रत्येक स्तर पर सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थाओं, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों, स्वयं–सहायता समूहों, युवा संगठनों, आवास और बाजार संघ के साथ साथ व्यापार और औद्योगिक चैम्बरों और संघों को प्रत्येक स्तर पर शामिल किया जाना महत्वपूर्ण है। इस अभियान में लोगों का ध्यान पुन: आकर्षित करने और स्वच्छता की जरूरत पर पुन: ध्यान केंद्रित करने के लिए विविध गतिविधियों जैसे कि मार्चों, मैराथन, वाद विवाद, नुक्कड नाटक,

संगीत और निबंध प्रतियोगिताएँ, स्वच्छता आंदोलनों और अन्य सामुदायिक गतिवधियाँ उपयोग में लाई जा सकती हैं। इस संबंध में मास मीडिया जैसे कि रेडियो, टेलिविजन और समाचार पत्रों, डिजिटल मीडिया जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल और सापेक्ष मीडिया का उपयोग किया जाए। इस अभियान की रूप रेखा स्थानीय जरूरत के अनुसार लचीली, अभिनव प्रकार की और उपयुक्त हो। आपके मार्गदर्शन हेतु सुझाव गए कार्य बिंदु संलग्न हैं। इन गतिविधियों पर किए गए व्यय को एसबीएम के आईईसी घटक से पूरा किया जा सकता है।

3. मैं इस राष्ट्रव्यापी प्रयास में आपकी व्यापक स्तर पर भागीदारी की आकांक्षा करता हूँ और आपके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्य योजना के संबध में जानना चाहूँगा। साथ ही साथ स्वच्छता और जागरूकता अभियान को उपयुक्त नीति से चलाने के लिए सुझाव भी आमंत्रित करता हूँ। सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय अभियान के लिए की गई तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए 23 सितंबर को एक वीडियो कॉंफ्रेंस बुलाएँगी।

भवदीय,

संलग्नक: यथोक्त

(सरस्वती प्रसाद)
संयुक्त सचिव (एसबीएम-जी)

प्रति:

1. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक।
2. संयुक्त सचिव, एसबीएम (शहरी), शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।

दिनांक 25.09.2015 से 11.10.2015 तक आयोजित किए जाने वाले राष्ट्रीय स्वच्छता (साफ-सफाई) अभियान के लिए सुझाए गए कार्य बिंदु

राष्ट्रीय स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए निम्नांकित बिंदुओं पर सुझाए गए कार्य के रूप में विचार किया जाए।

(I) राज्य स्तरीय गतिविधियाँ

1. 25 सितंबर, 2015 को राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान की शुरूआत।
2. राज्य स्तर पर टी.वी. और रेडियो नेटवर्कों में स्वच्छता पर जागरूकता विज्ञापन।
3. स्वच्छता संदेशों को प्रकाश में लाते हुए भारी संख्या में स्वर एसएमएस का उपयोग।
4. राज्य/जिला मुख्यालयों में होर्डिंग/पोस्टरों को लगाना और बस पैनलों आदि पर अभियान चलाना।
5. समाचार पत्रों में स्वच्छता को दर्शाते प्रायोजित लेख/मुद्दों को चलाना।
6. स्कूलों में गाँव की साफ-सफाई, सुरक्षित स्वच्छता व्यवहारों, हाथ धोने, पानी का सुरक्षित भंडारों, ठोस और अपशिष्ट प्रबंधनों अभ्यासों और स्वच्छता और स्वास्थ्य आदि जैसे विषयों पर व्याख्यान प्रतियोगिताएँ, डिक्लेमेशन प्रतियोगिताएँ/पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन और इनमें पुरस्कार वितरण किया जाना।
7. अभियान के दौरान राज्य मुख्य मंत्री, मंत्री और अन्य गणमाननीय व्यक्तियों की भागीदारी पर उपयुक्त रूप से विचार किया जाना।

(II) जिला स्तरीय गतिविधियाँ

1. चयनित प्रतिनिधियों, जिला अधिकारियों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, स्कूली बच्चों, एनजीओ, सीएसओ, मीडिया आदि की भागीदारी से जिला मुख्यालयों में रैलियाँ आयोजित करके जिला स्तर पर स्वच्छता अभियान का शुभारंभ।
2. जिला और ब्लॉक स्तरों पर बस स्टैंडों, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों, महत्वपूर्ण जंक्शनों होस्पीटलों, पंचायत कार्यालयों आदि में होर्डिंगों पर स्वच्छता संबंधी संदेश।
3. स्थानीय केबल टीवी चैनलों पर संदेश, थियेटरों में स्लाउड शौ।
4. बस स्टैंडों, बाजारों में नुक्कड़ नाटकों का आयोजन।
5. स्कूलों और कॉलजों के लिए जिला स्तरीय व्याख्यान/पेटिंग प्रतियोगिताएँ

(III) ग्राम पंचायत स्तर गतिवविधियाँ

1. 25/09/2015 को स्वच्छता अभियान के उदघाटन दिवस पर बैठक का आयोजन और ग्राम पंचायत/ग्राम सभा में गांधी जयंती दिवस पर राजनीतिक लीडरों/धार्मिक लीडरों, पीआरआई सदस्यों, स्कूली बच्चों, ग्राम स्तरीय सरकारी कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए सभी स्टेक होल्डरों द्वारा भागीदारी। 25 सितंबर, 2015 को स्वच्छता अभियान का प्रहसनों/नुक्कड़ नाटकों/जात्रा/स्कूली बच्चों की रैलियों/दौड/पद यात्राओं से औपचारिक उदघाटन और स्थानीय स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से गाँव की वास्तविक साफ-सफाई और एक संपूर्ण स्वच्छ गाँव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक दो से तीन दिनों में विद्यार्थियों को भी शामिल करके इसे सुनिश्चित करना।